

मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय

कार्यालय: टैगोर छात्रावास क्रमांक टी-2, श्यामला हिल, भोपाल-462002
दूरभाष एवं फ़ैक्स : 0755-2660461, ई-मेल : afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2019/ 828
प्रति,

दिनांक-15.05.2019

अध्यक्ष/कुलपति/कुलसचिव,
Jagran Lakecity University, Bhopal
School of Computing Science & Engineering (VIT Univ), Sehore
Madhyanchal Professional University, Bhopal

विषय-सत्र 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के शुल्क विनियमन करने के संबंध में ।

- संदर्भ- 1. इस सचिवालय का सूचना पत्र क्रमांक/सचि./ओएसडी/2019/67 दिनांक 25.01.19.
2. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक/सचि./ओएसडी/2019/195, 208 एवं 211 दिनांक 15.02.19.

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सत्र 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम के शुल्क विनियमन किये जाने हेतु आपकी संस्था द्वारा प्रस्ताव ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से जमा कराये गये हैं। आपकी संस्था में संचालित पाठ्यक्रम के शुल्क विनियमन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव की सुनवाई दिनांक 20.05.2019 समय सायं 2.00 बजे प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, सचिवालय में रखी गई है।

अतः स्वयं तथा संस्था के सी.ए. (चार्टर्ड एकाउन्टेंट) के साथ आवश्यक रूप से समय सारणी के अनुसार सुनवाई हेतु समिति, सचिवालय के सभागृह में उपस्थित हों। कोई अन्य प्रतिनिधि मान्य नहीं किया जायेगा, तथा अनुपस्थिति मानते हुये एक्ट में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

शुल्क विनियमन हेतु आपके द्वारा ऑनलाईन जमा किये गये प्रस्ताव एवं मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल द्वारा सत्र 2018-19 के लिये किये गये शुल्क विनियमन के आदेश की प्रति, विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम की स्वीकृति आदेश अन्य दस्तावेज की प्रतियाँ भी कृपया साथ लावें, उपरोक्त पाठ्यक्रम के लिये पूर्व निर्धारित शुल्क को आगामी सत्र 2019-20 एक वर्ष के लिये निर्धारण हेतु घोषणा पत्र भी पूर्ण किया जाकर समिति के समक्ष सुनवाई की तिथि को उपलब्ध करावें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

पृ.क्रमांक/सचि./ओएसडी/2019/

- प्रतिलिपि-1. माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालक निदेशक, क्रिस्प, भोपाल को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पत्र को समिति, सचिवालय के वेबसाईट के होमपेज पर अपलोड करें, (सूची सहित) तथा संबंधित सभी संस्थाओं को ईमेल एवं एस.एम.एस. से भी सूचित करें।

(डॉ. आलोक चौबे)

सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

दिनांक -

स्वी/-

(डॉ. आलोक चौबे)

सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी